



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29072022-237715
CG-DL-E-29072022-237715

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3369]
No. 3369]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2022/श्रावण 7, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2022/SHRAVANA 7, 1944

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 29 जुलाई, 2022

का.आ. 3534(अ).—डीपीसीओ 2013 के पैरा 19 के अनुसार जारी पांच चिकित्सा उपकरण, अर्थात् (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम मूल्य को निर्धारित करने से संबंधित दिनांक 13 जुलाई 2021 के का.आ. 2808(अ) और 31 जनवरी, 2022 के का.आ. 401(अ) के माध्यम से राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। उपरोक्त अधिसूचनाओं के क्रम में, पांच चिकित्सा उपकरण, नामतः (i) पल्स ऑक्सीमीटर, (ii) ब्लड प्रेशर मॉनीटरिंग मशीन, (iii) नेब्युलाइज़र, (iv) डिजिटल थर्मामीटर और (v) ग्लूकोमीटर के लिये 'व्यापार मार्जिन युक्तिकरण दृष्टिकोण' से उत्पाद की बिक्री के पहले बिंदु (वितरक को मूल्य) के आधार पर अधिकतम कीमतें निर्धारित करने संबंधी 31 जुलाई 2022 तक की अधिसूचना का 31 दिसंबर 2022 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, विस्तार कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया है कि डीपीसीओ, 2013 के पैरा 20(1) के प्रावधानों के अनुसार इसकी निगरानी की जा सकती है, जो दिनांक 13 जुलाई 2021 की अधिसूचना एस.ओ. 2808 (अ) के पैरा 11 में निर्धारित व्यापार मार्जिन के रख-रखाव के अधीन है।

2. दिनांक 13 जुलाई 2021 के का.आ. 2808(अ) की टिप्पणियां (ख) से (ड) तक इस आदेश के जारी रहने की अवधि के दौरान लागू रहेंगी।

[फा. सं. पीएन/231/99/2022/एफ/फा. सं. 8(99)/2022/डीपी/एनपीपीए/डि.व.11]

राजेश कुमार टी, उप निदेशक

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS**(Department of Pharmaceuticals)****(NATIONAL PHARMACEUTICAL PRICING AUTHORITY)****ORDER**

New Delhi, the 29th July, 2022

S.O. 3534(E).—The National Pharmaceutical Pricing Authority, Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers, Government of India vide S.O. 2808(E) dated 13th July 2021 and S.O. 401(E) dated 31st Jan 2022 issued notifications under Para 19 of the DPCO, 2013 regarding capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer at first point of sale of the product (price to distributor) for fixation of Maximum Retail Price of these products. In continuation to the above notifications, capping the trade margin of five medical devices, namely, (i) Pulse Oximeter, (ii) Blood Pressure Monitoring Machine, (iii) Nebulizer, (iv) Digital Thermometer, and (v) Glucometer at first point of sale (price to distributor) upto 31st July 2022 is further extended upto 31st December 2022 or till further order, whichever is earlier. It has also been decided that the same shall be monitored as per the provisions of Paragraph 20(1) of the DPCO, 2013 subject to maintenance of trade margin stipulated in Para 11 of the notification vide S.O. 2808(E) dated 13th July 2021.

2. The Notes (b) to (m) of the Notification S.O. 2808 (E) dated 13th July 2021 shall remain in force during the currency of this order.

[F. No. PN/231/99/2022/F/F. No. 8(99)/2022/DP/NPPA/Div.II]

RAJESH KUMAR T, Dy. Director